**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.08.2025**

## थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम में हुई चोरी की घटना का अनावरण कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित 10,00,500/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व 03 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 02.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर विजय नगर जाने वाले फ्लाई ओवर से 20 कदम पहले 01 मोटर साइकिल पर सवार 02 अभियुक्त 1. सूरज नारायण पुत्र दान बहादुर निवासी एल ब्लाक 293 बी संगम विहार थाना संगम विहार दिल्ली, मुल पता गाँव उत्तरपारा मोती गंज थाना बिकापुर अयोध्या उ0प्र0 उम्र 33 वर्ष 2.सोनू राजपूत पुत्र स्व. श्री हाकिम सिंह निवासी बुटीक की दुकान के पास मकान न. 208 गांव मुनीरका दिल्ली मूल पता गांव भुजपुरा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से मु0अ0सं0 - 331/25 धारा 305/331(4)/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद से सम्बन्धित 10 लाख 500 रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल रजि0 न0- DL 3 SFK 5764 व 03 मोबाइल फोन बरामद किये गये हैं। प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त सूरज ने बताया कि मैं टेक बाईट कम्पनी में एटीएम ठीक करने का काम करता हूँ तथा सोनू एनसीआर कम्पनी में एटीएम ठीक करने का काम करता है। हम दोनों की मुलाकात सोनू के भाई सौरव जो हमारी कम्पनी में काम करता है ने करीब 1-1.5 साल पहले करायी थी। मैं, सोनू से एटीएम मशीन के पार्टस खरीद कर महंगे दाम में बेचता हूं। हम दोनों ने एटीएम से पैसा चोरी करने का प्लान करीब 2 माह पहले बनाया था जिस पर सोनू ने जस्सीपुरा हिटेची एटीएम के लॉक का डायलर तोड़ दिया जिसको कम्पनी के द्वारा सही कराया गया तो एनसीआर कम्पनी के द्वारा लॉक चेंज कराया गया। जिसको सोनू के द्वारा ही चेंज किया गया था सोनू ने लॉक लगाते समय उसके पेंच लूज छोड़ दिये थे। फिर सोनू नें अपनी डयूटी यहां से चेंज कराकर समय बीत जाने के बाद किसी को शक न हो करीब 2 माह बाद मैनें 18 जुलाई 2025 को सुबह करीब 11.00 बजे अपनी मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स न0 डीएल 3 एसएफके 5764 से जस्सीपुरा एटीएम से कुछ दूर खडी कर पैदल-पैदल हेलमेट लगाकर एटीएम के अन्दर गया तथा एटीएम के अन्दर लगे कैमरो पर ब्लैक स्प्रे कर दिया तथा अगले दिन 19 जुलाई की शाम को सोनू ने कैमरों के वायर काट दिये फिर दिनांक 24 जुलाई 2025 को सुबह के समय हम दोनों ने एटीएम में जाकर चोरी की थी। एटीएम से 12 लाख 40 हजार रुपये चुराये थे जिसे हम दोनों ने बराबर बांट लिये थे। मेरे हिस्से में 6,20,000/- रुपये आये थे, तथा सोनू के हिस्से में 6,20,000/- रुपये आये थे।

### नाम पता अभियुक्त

1- सूरज नारायण पुत्र दान बहादुर निवासी एल ब्लाक 293 बी संगम विहार थाना संगम विहार दिल्ली, मुल पता गाँव उत्तरपारा मोती गंज थाना बिकापुर अयोध्या उ0प्र0 उम्र 33 वर्ष
2- सोनू राजपूत पुत्र स्व. श्री हाकिम सिंह निवासी बुटीक की दुकान के पास मकान न. 208 गांव मुनीरका दिल्ली मूल पता गांव भुजपुरा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी करीब 34 वर्ष

### बरामदगी-

1. 10 लाख 500 रूपये नकद (मु0अ0सं0 331/25 अन्तर्गत धारा 305/331(4)/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली कमि0 गाजियाबाद से सम्बन्धित)
2. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल रजि0 न0-DL 3 SFK 5764
3. 03 मोबाइल फोन
4. 02 बैग जिसमें पर्स व एटीएम मशीन के पुर्जे खोलने के औजार

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

स्वाट टीम नगर जोन व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

## थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 02.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1- शाहरूख पुत्र साबर निवासी बारात घर के पास टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2-अभिषेक पुत्र जगपाल बारात घर के पास टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमनें अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या, डकैती जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम और हमारे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1.शाहरूख पुत्र साबर निवासी बारात घर के पास टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

2.अभिषेक पुत्र जगपाल बारात घर के पास टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -**

अभियुक्त शारहरुख के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग, हत्या व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग तथा थाना टीला मोड़ पर हत्या व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग-04)

अभियुक्त अभिषेक के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर डैकेती, हत्या ,आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग तथा गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग -03)

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

**स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा सर्राफा व्यापारी के साथ रास्ते में ठगी कर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, ठगी की घटना से सम्बन्धित कुल 1 किलो 900 ग्राम चाँदी, 01 लाख 05 हजार रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद ।**

दिनांक 25.07.2025 को थाना वेवसिटी पर वादी श्री राकेश पुत्र स्व0 चिरंजीलाल निवासी भोड वाली गली बेलनगंज जनपद आगरा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 25.07.2025 को सुबह 04.05 बजे गाजियाबाद से आगरा जाते समय बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधडी कर सामान चेकिंग कराने के नाम पर बैग बदलकर वादी का बैग जिसमें 01 किलो 900 ग्राम चाँदी व 01 लाख 55 हजार रूपये चोरी करके भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना वेवसिटी पर धारा 318(4)/303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया जिसके क्रम में स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान दिनांक 01/02.08.2025 की रात्रि को पुलिस मुठभेड़ में 02 अभियुक्त 1. अफसर पुत्र फारूख निवासी मौ0 शहीदगढी थाना औरंगाबाद बुलन्दशहर, 2. प्रदीप कुमार पुत्र प्रभू सिंह निवासी गली नं0 02 कैलाश नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद को 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, ठगी की घटना से सम्बन्धित कुल 01 लाख 05 हजार रू0 नगद व 01 किलो 900 ग्राम चाँदी व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

**पूछताछ का विवरणः-**

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि इस घटना में शामिल दोनों अभियुक्त अफसर व प्रदीप राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाते थे जिन्होने दिनांक 25/07/2025 को गाजियाबाद से आगरा जाने के लिये लालकुँआ पर बस का इन्तजार कर रहे सर्राफा व्यापारी के साथ ठगी कर उसका बैग जिसमें एक किलो 900 ग्राम चाँदी व एक लाख 55 हजार रूपये चोरी कर बुलन्दशहर की ओर भाग गये। दोनों अभियुक्तों नें पहले भी ठगी व लूट की घटना कारित करना बताया है जिसमें वह पूर्व मे भी जेल भी जा चुके हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. अफसर पुत्र फारूख निवासी मौ0 शहीदगढी औरंगाबाद थाना औरंगाबाद बुलन्दशहर उम्र करीब 48 वर्ष।
2. प्रदीप कुमार पुत्र प्रभू सिंह निवासी गली नं0-02 कैलाश नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

1. कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस,
2. ठगी की घटना से सम्बन्धित 01 किलो 900 ग्राम चाँदी,
3. कुल 01 लाख 05 हजार रू0 नगद व
4. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-**

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में ठगी/चोरी व पुलिस मुठभेड के 02 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

अभियुक्त अफसर पुत्र फारूख के विरूद्ध थाना मसूरी पर लूट व गैंगस्टर एक्ट के कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग -05)**

अभियुक्त प्रदीप कुमार के विरुद्ध थाना हल्द्वानी जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड में ठगी व चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग -03)**

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-**

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

## कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 05 शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 05 शातिर लूट, धोखाधड़ी व चोरी/नकबजनी आदि से सम्बन्धित अभ्यस्त अपराधी जिनके विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 23 से अधिक अभियोग पंजीकृत है, उनकी सतत निगरानी हेतु उनकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी, जिनका विवरण निम्नवत है।

| क्र0सं0 | अपराधी का नाम व पता | थाना | पंजीकृत अभियोगों की सं0 |
|---|---|---|---|
| 1. | सोनू उर्फ चीटा पुत्र जयवीर निवासी राजपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष। | टीलामोड़ | 05 |
| 2. | सोनू उर्फ असलम पुत्र रहीमुद्दीन निवासी 27 असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष। | टीलामोड़ | 04 |
| 3. | ललतेश उर्फ लक्की पुत्र शीशपाल उर्फ शिशपाल निवासी बी- 85 हर्ष बिहार द्वितीय थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष। | टीलामोड़ | 05 |
| 4. | नवीन पुत्र उधम सिंह निवासी 536 शरफुद्दीनपुर जावली मोड़ के पास थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष। | टीलामोड़ | 04 |
| 5. | सुमित गौतम उर्फ नानू पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह निवासी म0नं0 261 हर्ष विहार द्वितीय सरकारी स्कूल के पास थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष। | टीलामोड़ | 05 |

**श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं उनसे बचाव हेतु आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी एवं थाना प्रभारी क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा पुलिस टीम के साथ एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं नागरिकों को जागरूक करने हेतु साइबर जागरूकता अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 02.08.2025 को श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी एवं श्रीमती सरिता गर्ग थाना प्रभारी क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्रान्तर्गत स्थित जीएच-07 सोसायटी में लगभग 150 लोगों के साथ एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं नवयुवकों को आधुनिक साइबर अपराधों की पहचान करने, संभावित खतरों से स्वयं को सुरक्षित रखने तथा साइबर सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता का प्रसार करना था।

जागरूकता कार्यक्रम में वर्तमान समय में होने वाले नये-नये तरीके के साइबर अपराध से अवगत कराया गया तथा उनसे बचने के उपायों को भी बताया गया। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि साइबर ठगी होने पर क्या कार्यवाही की जाये एवं इनसे बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों और सुरक्षा उपायों को भी विस्तार से समझाया गया।

नागरिकों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार साइबर अपराधी ई-चालान, नौकरी का प्रस्ताव, लाभकारी स्कीम, या बैंक वेरीफिकेशन जैसी भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों की बैंक डिटेल्स एवं व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ठगी करते हैं। पुलिस टीम द्वारा नागरिकों को साइबर अपराध हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी भी दी गई।

**कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस का यह जागरूकता अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सृजित किया जा सके।**

संदिग्ध साइबर गतिविधि या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।